

कारा सुधार समिति

1.	श्री पवन कुमार जायसवाल (21)	स०वि०स०	सभापति
2.	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (10)	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (17)	स०वि०स०	सदस्य
4.	श्री राम विशुन सिंह (197)	स०वि०स०	सदस्य
5.	श्री मुरारी प्रसाद गौतम (207)	स०वि०स०	सदस्य

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

संख्या-पुस्त०-05/2020- 730 /वि०स० । सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-694, दिनांक-28.03.2025 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने श्री मो० अनजार नईमी, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-52, बहादुरगंज) को बिहार विधान सभा की कारा सुधार समिति के बदले बिहार विधान सभा की पुस्तकालय समिति में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2025-26 (सत्रहवीं बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक) की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य श्री मो० अनजार नईमी, स०वि०स० कारा सुधार समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

Khyati Singh
(ख्याति सिंह) 04/04/25
प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-पुस्त०-05/2020-

731

/वि०स०, पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

प्रति:-सभापति, पुस्तकालय समिति, एवं कारा सुधार समिति / सदस्यगण, पुस्तकालय समिति एवं कारा सुधार समिति / राज्यपाल के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष / संसदीय कार्य विभाग / प्रधान महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् / बिहार विधान सभा के सभी निदेशक / संयुक्त निदेशक, उप सचिव एवं अवर सचिवगण / लेखा शाखा / कारा सुधार समिति शाखा / जनसम्पर्क शाखा, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Rajiv Kumar
(राजीव कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-पुस्त०-05/2020-

731

/वि०स०, पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

प्रति:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Rajiv Kumar
(राजीव कुमार)
निदेशक

बिहार विधान सभा, पटना ।

Sushma
04/04/25

ज्ञापांक-पुस्त०-05/2020-

731

/वि०स०, पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

प्रति:-निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

21/04/25
(राजीव कुमार)

निदेशक

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-पुस्त०-05/2020-

731

/वि०स०, पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

प्रति:-प्रशाखा पदाधिकारी, अवधायक शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/04/25
(राजीव कुमार)

निदेशक

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-पुस्त०-05/2020-

731

/वि०स०, पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

प्रति:-अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 20 (बीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय के व्यवहारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

21/04/25
(राजीव कुमार)

निदेशक

बिहार विधान सभा, पटना ।

सुषमा

04/04/25

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

संख्या-पुस्त०-05/2020-

730

/वि०स० । सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-694,

दिनांक-28.03.2025 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने श्री मो० अनजार नईमी, संवि०स० (क्षेत्र संख्या-52, बहादुरगंज) को बिहार विधान सभा की कारा सुधार समिति के बदले बिहार विधान सभा की पुस्तकालय समिति में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2025-26 (सत्रहवीं बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक) की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है । अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य श्री मो० अनजार नईमी, संवि०स० कारा सुधार समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

Khyati Singh
(ख्याति सिंह) 04/04/25
प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-पुस्त०-05/2020-

731

/वि०स०, पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

प्रति:-सभापति, पुस्तकालय समिति, एवं कारा सुधार समिति / सदस्यगण, पुस्तकालय समिति एवं कारा सुधार समिति / राज्यपाल के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष / संसदीय कार्य विभाग / प्रधान महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् / बिहार विधान सभा के सभी निदेशक / संयुक्त निदेशक, उप सचिव एवं अवर सचिवगण / लेखा शाखा / कारा सुधार समिति शाखा / जनसम्पर्क शाखा, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Rajiv Kumar
(राजीव कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-पुस्त०-05/2020-

731

/वि०स०, पटना, दिनांक-04 अप्रैल, 2025 ई० ।

प्रति:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंवाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Rajiv Kumar
(राजीव कुमार)
निदेशक

बिहार विधान सभा, पटना ।

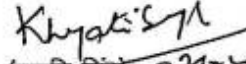
Sushma
04/04/25

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

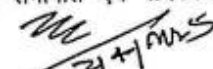
संख्या-प्र0वि0स0-05/2022- 718 पटना, दिनांक-03 अप्रैल, 2025 ई0।
/वि0स0। सभा-सचिवालय के पूर्व में निर्गत
अधिसूचना सं0-688, दिनांक- 28.03.2025 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित
किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने श्रीमती मीना कुमारी, सं0वि0स0 क्षेत्र सं0-34 को
बिहार विधान सभा के कारा सुधार समिति के बदले बिहार विधान सभा के प्रत्यायुक्त विधान समिति में
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2025-26 (सत्रहवीं बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक) की
शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से श्रीमती मीना कुमारी,
सं0वि0स0 कारा सुधार समिति की सदस्य नहीं रहेंगी।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(ख्याति सिंह) 02/04/25
प्रभारी सचिव,

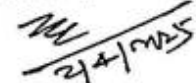
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं0- प्र0वि0स0-05/2022- 719 /वि0स0, पटना, दिनांक- 03 अप्रैल, 2025 ई0।
प्रति:- बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के माननीय सभापति एवं सदस्यगण को
सूचनार्थ प्रेषित।


(असीम कुमार)
निदेशक,

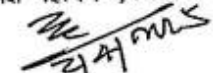
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं0- प्र0वि0स0-05/2022- 719 /वि0स0, पटना, दिनांक- 03 अप्रैल, 2025 ई0।
प्रति:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक, नई
दिल्ली/प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन, पटना /मुख्य सचिव, बिहार,
पटना/महाधिवक्ता, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य
विभाग, बिहार सरकार, पटना/सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष के सूचनार्थ प्रेषित।

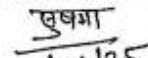

(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं0- प्र0वि0स0-05/2022- 719 /वि0स0, पटना, दिनांक- 03 अप्रैल, 2025 ई0।
प्रति:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त
सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित।


(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।


02/04/25

ज्ञाप सं०- प्र०वि०स०-०५/२०२२- 719 /वि०स०, पटना, दिनांक-०३ अप्रैल, २०२५ ई०।
प्रति:- उप सचिव, कारा सुधार समिति, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।

M/24/04/25

(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०- प्र०वि०स०-०५/२०२२- 719 /वि०स०, पटना, दिनांक-०३ अप्रैल, २०२५ ई०।
प्रति:- सचिव, बिहार विधान परिषद्/ सभी निदेशक / संयुक्त निदेशक/ सभी उप सचिव
/सभी अवर सचिव/स्थापन शाखा/ जनसंपर्क शाखा/श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा (विधान सभा की
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/अवधायक शाखा/ दूरभाष शाखा/ सूचना शाखा तथा लेखा शाखा,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

M/24/04/25

(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०- प्र०वि०स०-०५/२०२२- 719 /वि०स०, पटना, दिनांक-०३ अप्रैल, २०२५ ई०।
प्रति:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी
सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। यथा प्रकाशित अधिसूचना की
३५ (पैंतीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

M/24/04/25

(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सुषमा

02/04/25

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 27 मार्च, 2025 ई० ।

संख्या-1स्था०-38/2025- 816 / वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-59 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार विधान सभा की "कारा सुधार समिति" का गठन निम्न प्रकार किया है :-

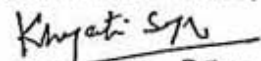
1. श्री पवन कुमार जायसवाल (21)	स०वि०स०	सभापति
2. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (10)	स०वि०स०	सदस्य
3. श्री मोहम्मद अनवार नईमी (52)	स०वि०स०	सदस्य
4. श्रीमती भीना कुमारी (34)	स०वि०स०	सदस्या
5. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (17)	स०वि०स०	सदस्य
6. श्री राम विशुन सिंह (197)	स०वि०स०	सदस्य
7. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (207)	स०वि०स०	सदस्य

श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का कार्यकाल 1 अप्रैल, 2025 से सत्रहवीं बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक होगा ।

समिति मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में विचार-विमर्श कर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन दे सकेगी :-

1. यह समिति राज्य के विभिन्न काराओं के लिए बजट आवंटन एवं उसके व्यय की सम्परीक्षा करेगी ;
2. कैदियों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं तथा उनकी आजीविका एवं वहाँ आपूर्ति किए जाने वाली क्रय सामग्री की समीक्षा कर सकेगी ;
3. राज्य के काराओं के कैदियों की मनः स्थिति एवं उनके व्यवहार में सकारात्मक सोच को जागृत करने के लिए किये जाने वाले उपायों की समीक्षा कर सकेगी और सुझाव दे सकेगी ;
4. कारा में कैदियों की क्षमता, कारा के रख-रखाव एवं कैदियों की सुरक्षा का सम्परीक्षण कर सकेगी ;
5. कैदियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं एवं पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था का सम्परीक्षण कर सकेगी ;
6. कैदियों के न्यूनतम मानवाधिकार की गारंटी कैसे मिले, उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार न हो, इसे सुनिश्चित करने का उपाय सुझा सकेगी ;
7. महिला कैदियों एवं बाल कैदियों के अधिकार एवं उनके शिकायतों का सम्परीक्षण कर सकेगी ;
8. राज्य की काराओं एवं बंदियों के लिए चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकेगी ;
9. राज्य की काराओं में बंदियों से मुलाकातियों की व्यवस्था के संस्थागत स्वरूप की जाँच कर सकेगी एवं उसके सुधार हेतु अपनी अनुशंसा दे सकेगी ;
10. समिति अन्य ऐसे कृत्य कर सकेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकेंगे ;

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(ख्याति सिंह) 29/3/25
प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-1स्था०-38/2025-

817

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 27 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- माननीय सभापति एवं माननीय सदस्यगण, कारा सुधार समिति / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार सरकार / बिहार सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / संसदीय कार्य विभाग एवं सचिव, बिहार विधान परिषद् के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-1स्था०-38/2025-

817

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 27 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-1स्था०-38/2025-

817

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 27 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- सभी निदेशक / उप सचिव / अवर सचिव / संबंधित कर्मचारीगण एवं पदाधिकारीगण / संबंधित शाखा तथा स्थापना शाखा, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-1स्था०-38/2025-

817

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 27 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को अवलोकनार्थ ।

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-1स्था०-38/2025-

817

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 27 मार्च, 2025 ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना को 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।